न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 72/2024
जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2024/151

भंवरलाल उम्र 37 साल पुत्र नाथूराम जाति कुमावत नि0 ग्राम श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज0)

वादीगण,

बनाम

1. नाथूराम उम्र 78 साल पुत्र बींजा जाति कुम्हार ।प्रजापति। नि0 ग्राम श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
2. पटवारी, प0ह0 श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
4. तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर ।लेण्ड होल्डर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र सिह खर्रा ,वकील वादी की ओर से।
2. „ प्रदीप जोशी प्रति0सं0 1 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

निर्णय दिनांक :: 12.08.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 1011 रकबा 0.45 है0 ख0नं0 1014 रकबा 0.47 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 है0 अवस्थित है, जो वादी व प्रति0सं0 1 की अविभाजित कृषि भूमियां है,जिन्हें आगे वादग्रस्त भूमियों के नाम से संबोधित किया जायेगा। वर्णित कृषि भूमियां जो वादी व प्रति0सं0 1 की संयुक्त रिकार्डेड खातेदारी काश्त की अविभाजित कृषि भूमियां है, जिनके राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/2 हक हिस्सा है एंव शेष 1/2 हिस्सा प्रति0सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख0नं0 1014 के पूर्वी दक्षिणी भाग पर तथा ख0नं0 1011 के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर 1/2 हिस्से पर काबिज है। उक्त भूमियों का आज दिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, जिस पर वादी व प्रतिवादीगण अंदाज से काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन भूमियों का विकास करने, ऋण आदि लेने में काफी परेशानी आ रही है तथा आये दिन भूमियों की नींव–सींव को लेकर विवाद होता रहता है। प्रति0 सं0 1 झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो वादी की भूमि पर कब्जा

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

करने के लिए आये दिन मौके पर वाद विवादः करता रहता है तथा वादग्रस्त भूमियों के स्पेशिक भू भाग पर कब्जा करने की कुचेष्टा में प्रयासरत रहते है इसलिए वादग्रस्त भूमियों को कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर अलग अलग नींव–सींव कायम कर अलग–अलग लगान कायम किया जाना प्रार्थनीय है। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क, ख, ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 से 04 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वकील वादी के निवेदन पर दिनांक 23.07.24 को बहस सुनी जाकर पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/5085 दिनांक 20.09.2024 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी एंव प्रति0सं0 1 द्वारा सहमति देते हुए तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/5085 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमिया है तथा पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है। वकील उभय पक्ष द्वारा तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु सहमति दी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 ख0नं0 1011 रकबा 0.45 है0 ख0नं0 1014 रकबा 0.47 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	नाथूराम पुत्र बींजा जाति कुम्हार ।प्रजापति। सा0 देह खातेदार	1011/1 1014/1	0.2250 है0 0.2350 है0	बा0 4 बा0 4	0.45 0.47
		02	0.4600	–	0.92
2.	भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति कुमावत सा0 देह खातेदार	1011/2 1014/2	0.2250 है0 0.2350 है0	बा0 4 बा0 4	0.45 0.47
		02	0.4600	–	0.92

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/5085 दिनांक 20.09.2024 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर